आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या :–173 / 2023

गोविन्द लाल

बनाम

राघवेन्द्र किशोर सिंह

आदेश

अनुसूची–14 संख्या फारम संख्या 563 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
13.06.2023	यह वाद अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद संख्या–50 / 2019–20 में दिनांक–16.02.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को प्रश्नगत वाद के पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 के नियम 9 (7) के अतर्गत यह वाद दायर किया गया है। वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 के नियम 9 (7) के अतर्गत समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्व वाद दायर आयुक्त न्यायालय में पोषणीय है जबकि प्रश्नगत वाद अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध दायर है। वादी को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 के नियम 9 (7)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

को आधार बनाया गया है उसमें स्पष्ट रुप से उल्लेखित है किः—9 (7) (क) जिला के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के 30 दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

उक्त नियम में स्पष्ट रुप से अंकित है कि जिला के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के 30 दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा, जबकि प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित होकर दायर है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL